करदाताओं के लिए चार्टर

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर विभाग निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है

1. निष्पक्ष, विनम्र और उचित व्यवहार के लिए

विभाग करदाता के साथ सभी लेन–देन में शीघ्र, विनम्र और पेशेवर सहायता प्रदान करेगा।

2. करदाता को ईमानदार मानने के लिए

विभाग प्रत्येक करदाता को ईमानदार मानकर व्यवहार करेगा जब तक ऐसा नहीं करने का कोई कारण न हो।

3. अपील और समीक्षा के लिए तंत्र प्रदान करने के लिए

विभाग अपील और समीक्षा हेतु उचित और निष्पक्ष तंत्र प्रदान करेगा।

4. पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए

विभाग कानून के अंतर्गत अनुपालन दायित्वों को पूरा करने के लिए सटीक सूचना प्रदान करेगा।

5. समय पर निर्णय प्रदान करने के लिए

विभाग प्रत्येक आयकर कार्यवाही में कानून के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्णय लेगा।

6. कर की सही राशि के संग्रहण के लिए

विभाग कानून के अनुसार केवल देय राशि का ही संग्रहण करेगा।

7. करदाता की निजता का सम्मान करने के लिए

विभाग कानून की नीयत प्रक्रिया का पालन करेगा और किसी भी जांच, परीक्षा या प्रवर्तन कार्यवाही में आवश्यक से अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा।

8. गोपनीयता बनाए रखने के लिए

विभाग करदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा जब तक ऐसा करने हेतु कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं होगा।

9. अपने अधिकारियों को जवाबदेही के लिए

विभाग की गई कार्यवाहीयों के लिए अपने अधिकारियों को जवाबदेह मानेगा।

10. अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने की छूट के लिए

विभाग प्रत्येक करदाता को उसकी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देगा।

11. शिकायत दर्ज करने हेतु तंत्र प्रदान करने के लिए

विभाग शिकायत दर्ज कराने और उसके शीघ्र निपटान के लिए तंत्र उपलब्ध कराएगा ।

12. उचित और निष्पक्ष प्रणाली प्रदान करने के लिए

विभाग एक उचित और निष्पक्ष प्रणाली प्रदान करेगा और कर संबंधी मामलों को समयबद्ध तरीके से हल करेगा।

13. सेवा मानक और रिपोर्ट समय–समय पर प्रकाशित करने के लिए

विभाग समय–समय पर समयबद्ध सेवा प्रदान करने के लिए मानक प्रकाशित करेगा ।

14. अनुपालन की लागत को कम करने के लिए

विभाग कर कानूनों को लागू करते समय अनुपालन की लागत का ध्यान रखेगा।

करदाताओं से अपेक्षा

1. ईमानदार और अनुपालक हो

करदाता ईमानदारी से पूरी जानकारी प्रकट करें और अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करे ।

2. सचेत रहे

करदाता कर कानून के तहत अपने अनुपालन दायित्वों के प्रति सचेत रहे और आवश्यकता हो तो विभाग से सहायता मांगे।

3. सटीक रिकॉर्ड रखें

करदाता कानून के अनुसार अपेक्षित सटीक रिकॉर्ड रखे।

4. पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि द्वारा उसकी ओर से क्या किया गया है

करदाता को जानकारी होनी चाहिए कि उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा क्या सूचना और उत्तर प्रस्तुत किया गया है।

5. समय पर उत्तर प्रस्तुत करें

करदाता कर कानून के अनुसार समय पर उत्तर प्रस्तुत करें।

6. समय पर भुगतान करें

करदाता कानून के अनुसार समय पर देय राशि का भुगतान करें।

@IncomeTaxIndia @IncomeTaxIndiaOfficial @IncomeTaxIndia.Official

फरवरी 2021

आयकर विभाग

(जन संपर्क, प्रकाशन और प्रचार)
6 तल, मयूर भवन, नई दिल्ली

इस पैम्पलेट को कानून का संपूर्ण विवरण नहीं माना जाना चाहिए
सम्पूर्ण विवरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 देखें।

www.incometaxindiaefiling.gov.in
www.incometaxindia.gov.in